

क्रिया गया। रिपोर्ट अधलमद का अवलोकन किया गया। बाबा दजी रजिस्टर होकर तलवी प्रतिवादी की जाकर पत्रावली दिनांक 10-4-17 को पेश हो

10 $\frac{4}{17}$ उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अपकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दिनांक 25/1/17 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
बामनवास (संभा)

2 $\frac{5}{17}$ उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अपकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दिनांक 25/1/17 को पेश हो।

प्रतिवादी नं. 1 व 2 की ओर से श्री विजय सिंह गुजर ने वकालत नाम एवं पत्रावली पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

25 $\frac{7}{17}$ उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अपकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दिनांक 5/1/17 को पेश हो।

5 $\frac{9}{17}$ उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अपकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दिनांक 10/1/17 को पेश हो।

10 $\frac{10}{17}$ उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अपकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दिनांक 2/1/17 को पेश हो।

7 $\frac{11}{17}$ उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अपकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दिनांक 5/1/17 को पेश हो।

रीडर

5 $\frac{12}{17}$ पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप/वत्स वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी का कथन है कि राजस्व रिकार्ड जमावड़ी ग्राम शफीपुरा की खर्च 2071-2074 की अनुसार वाडी का नाम मुनेश पुत्र मन्खन लाल दत्त है तथा वाडी का सही नाम मुनेश पुत्र भरतलाल है। वाडी के मायूया दस्ता वेद माहामंडि शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, राशनकार्ड, मूल निवास

पत्र, लक्ष्मण, आचार कर्डी आदि के साथ पेश
 शंभु का शपथ पत्र के अनुसार वाडी का सही
 नाम मुनेश पुत्र भरतलाल हैं। जो कि राजस्व
 रिकार्ड में दुरस्ती किया जाना - यादहीत में
 आवश्यक है। वहील प्रतिवादीजग द्वारा पेश पत्र
 में भी वाडी का सही नाम मुनेश 510 भरतलाल
 कोना स्वीकार किया गया है। जिसके कारण
 वाडी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक पत्र द्वारा 136 स्वीकार
 किये जाने योग्य है। वाडी द्वारा वाड पत्र का
 अवलोकन किया गया, वहील वहील उमय पत्र का
 मनन किया गया। वाडी का वाड स्वीकार किये
 जाने योग्य है।

अतः वाडी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीजग विधी
 किया जाकर तहसीलदार बामनवास को आदेश
 किये जाते है कि ग्राम शफीपुर तहसील बामनवास
 की राजस्व रिकार्ड जमावडी संवत् 2071 से 2074
 के रताता न-नया 134 पुराना 181 में आंकित
 वाडी का नाम मुनेश पुत्र मकरनलाल को
 स्थान पर मुनेश पुत्र भरतलाल आंकित किये
 जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती
 किये जाने के आदेश तहसीलदार बामनवास
 को किये जाते है। तहसीलदार बामनवास को
 तहसीर जारी की जावे। पत्रा वली कैलल शूकर
 सेकर वाद तहसील दफ्तर दाखिल की जावे।
 यह निष्पत्ति आज दिनांक 5-12-2017
 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप दि. कलक्टर
 बामनवास (मो मा०)
 (राम किशोर भाना)
 R.A.S.
 उप जिला कलेक्टर
 जयपुर

राजस्थान -सरकार

डिकरी व मुकदमें इत्तादाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत :- उपजिला कलेक्टर बामनवास
इजलास: :- रामकिशोर मीना (आर.ए.एस.)

1. मुनेश कुमार पुत्र भरतलाल मीना निवासी शफीपुरा तहसील बामनवास

-: वादी :-

बनाम

1. राकेश पुत्र भरतलाल मीना निवासी शफीपुरा तहसील बामनवास
2. चन्द्रकला पत्नि भरतलाल मीना निवासी शफीपुरा तहसील बामनवास
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास

-: प्रतिवादी :-

दावा बाबत इन्द्राज दुरस्ती धोषणा एवं ,स्थाई निषेधज्ञा


मुकदमा न. :-12/17

डिक्री जारी दिनांक:-9.1.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी :-लैण्ड होल्डर मिनजानिब मुददई व मिनजानिब मुददयालह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि :- वाद वादी डिक्री किया जाकर निम्न प्रकार पक्षकारान को खातेदार धोषित किया जाता है ।

1. ग्राम शफीपुरा तहसील बामनवास का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सवंत 2071 से 2074 के खाता न. नया 194 पुराना 181 में अंकित वादी का नाम मुनेश पुत्र मखनलाल के स्थान पर मुनेश पुत्र भरतलाल अंकित किया जावे ।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती की जावे ।यह डिक्री निर्णय दिनांक 5.12.2017 की अनुपालना मे जारी की गई

यह डिक्री आज दिनांक 9.1.2018 को इस न्यायालय की और से जारी की गई



उपजिला कलेक्टर
(रामकिशोर मीना)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास